

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

विषय:-

400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी-अलीगढ़ पारिषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष का पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-678/समेकित/13285/2015/यू0पी0-192, दिनांक-28-9-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी-अलीगढ़ पारिषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष का पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2-

अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-पी-151(1)/14-2-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 3- जिलाधिकारी, एटा, हाथरस एवं अलीगढ़।
- 4- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा, हाथरस एवं अलीगढ़।
- 5- जनरल मैनेजर साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 शालीमार टाइटेनियम 601 छटा तल प्लाट संख्या-टीसी/जी-1, विभूतिाण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।